न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
(1) श्री वदुदेवी पत्नि छोगाराम जी, जाति– भील, निवासी– जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
(2) ग्राम पंचायत जावाल, वर्तमान में: नगर पालिका, जावाल जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 62/2022

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 मई, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (वदुदेवी पत्नि छोगाराम जी, जाति– भील, निवासी– जावाल) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 22.3.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (दो) की ओर से ओर से अधिवक्ता कैलाशनामा उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से जवाब पेश नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या–2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (वदुदेवी) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही होने से अप्रार्थी संख्या–1 (वदुदेवी) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जिस भूमि का आवासीय पट्टा संख्या 05 दिनांक 22.3.2021 को जारी किया गया है वह विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या– 1(एक) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 338 किस्म गै.मु. पाल दर्ज है। यह कि जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo moto के तहत प्रकरण दर्ज कर जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांकःसर्तकता/33(14)()बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक/सतक[illegible]2.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित की गई थी, जि[illegible]चायत, जावाल द्वारा दिनांक 01.01.2020 के पश्चात् जारी [illegible]तिबंधित राजकीय भूमि एवं निजी खातेदारी [illegible] जावाल द्वारा उक्त 57 पट्टे

...पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:28:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अवैधानिक रूप से जारी किये जाने से उक्त गैर विधिक पट्टो को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक:मा.ज.सु/स.प्र.(32)/2022/76 दिनांक 01.6.2022 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को अधिकृत किया गया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही की उक्त रिपोर्ट क्रमांक 175 दिनांक 22.3.2022 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में आवासीय पट्टा गै.मु. पाल भूमि में जारी किया गया है, जो की प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत को गै.मु. पाल भूमि में पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नही है। उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही को जांच के दौरान प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल उपलब्ध नही करवाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालना नही किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा गै.मु. पाल राजकीय प्रतिबंधित भूमि में पट्टा जारी किया जाना अवैधानिक एवं पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 22.3.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–1 (एक) का अवासीय मकान पाया गया जो गै.मु. पाल भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या–1 (एक) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है। ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या–1(एक) को अनुचित लाभ देने की नियत से उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पट्टा जारी किया गया है, अतः प्रकरण में न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय पट्टा संख्या 05 दिनांक 22.3.2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है उन्हें राजस्थान पंचायती वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनि[illegible] से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राज[illegible] नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के [illegible] द्वारा सिफारिश की नयी [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:28:39 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांकःसतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित जांच रिपोर्ट (जो जिला जन अभाव अभियोग एवं सर्तकता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo Moto दर्ज प्रकरण के संबंध में एवं जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांकःसर्तकता/33(14)() बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित की गई है) की छाया प्रति एवं इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित दस्तावेज उप तहसीलदार, कालन्द्री की अध्यक्षता में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा गठित टीम (जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल, पटवारी हल्का जावाल, पटवारी हल्का सनपुर व पटवारी हल्का आमलारी समिल्लित है) की मौका जांच रिपोर्ट की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जिस भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 338 किस्म गै.मु. पाल दर्ज है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। ग्राम पंचायत को गै.मु. पाल भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने का काननून कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में गै.मु. पाल भूमि का पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना की.गई है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी वदुदेवी पत्नि छोगाराम जी, जाति– भील, निवासी– जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 22.3.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही (seal)

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:28:39 IST
Reason: SelfAttested